

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्व अपव्यय की रोकथाम के लिए

पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच करार

जाय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपवर्धन की रोकथाम के लिए

पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच करार

पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने की इच्छा से, और जाय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व-अपवर्धन की रोकथाम के लिए एक करार सम्पन्न करने का निर्णय लेकर नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - I

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद- II

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :-

॥क॥ भारत में :

- I ॥ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर और उस पर लगाया जाने वाला कोई अधिभार ;
- II ॥ कम्पनी ॥ लाभ ॥ अतिरिक्त कर अधिनियम, 1964 के अंतर्गत लगाया जाने वाला अतिरिक्त ॥ जिन्हें इसमें इसके बाद " भारतीय कर " कहा जाएगा ॥ ।

॥ख॥ पोलैंड में :

- I ॥ आयकर (पोटटेक डेचोडोकी) ;
 - II ॥ मजदूरी और वेतन पर कर ॥ पोटटेक ओड वाइनग्रोइजेन ॥ ;
 - III ॥ स्मृता-कर ॥ पोटटेक वाइरड्वनावजी ॥ ; और
 - IV ॥ कृषि कर ॥ पोटटेक रोलनी ॥ ;
- ॥जिन्हें इसमें इसके बाद " पोलिश कर " कहा जाएगा ॥ ।

2. यह करार किसी भी स्मरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के

परचातु पैराग्राफ-। में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों सविदाकारी राज्यों में से किसी एक सविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे। सविदाकारी राज्यों के स्वयं प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सम्बन्ध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने ऐसे कराधान कानूनों में किए गए हों, जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-

§ क § "भारत " राज्य से अभिप्राय है भारत गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो इससे अभिप्राय है भारत गणराज्य का राज्य क्षेत्र और भारत गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिसपर भारतीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता हो अथवा प्रभुसत्ता संबंधी तथा सम्पूर्ण अधिकार हों। "

§ ख § "पोलैंड " शब्द से अभिप्राय है पोलैंड लोक गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो उससे अभिप्राय है पोलैंड लोक गणराज्य और पोलैंड लोक गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिसपर पोलैंड लोक गणराज्य के कानूनों और अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पोलैंड लोक गणराज्य की प्रभुसत्ता या प्रभुसत्ता संबंधी तथा सम्पूर्ण अधिकार हों। "

§ ग § " एक सविदाकारी राज्य " और "दूसरा सविदाकारी राज्य " पदों का आशय विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार "भारत "

या "पोलैंड" से है ;

॥व॥ "कर" शब्द का आशय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा पोलैंड कर से है परन्तु इसमें ऐसी कोई एक शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी सूक अथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर वह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थवण्ड हो ;

॥उ०॥ "व्यक्ति" शब्द में व्यक्ति, कंपनी और ऐसी कोई भी अन्य सत्ता शामिल है जो संबंधित सविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य इकाई मानी जाती हो ;

॥च॥ "कंपनी" शब्द का आशय किसी भी ऐसे निगमित निकाय अथवा किसी भी ऐसी सत्ता से है, जो संबंधित सविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत कोई कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती हो ;

॥छ॥ "एक सविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे सविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों का आशय क्रमशः एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम से है ;

॥ज॥ "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों का आशय भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय ॥ राजस्व विभाग ॥ अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है ; और पोलैंड के मामले में वित्त मंत्री या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है ;

॥झ॥ "राष्ट्रिक" शब्द का आशय किसी सविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले किसी व्यक्ति और किसी भी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था से है जिसे अपनी हेतियत किसी सविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

॥ अ ॥ "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद का आशय किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा की गई किसी दुलाई से है, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे सविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ।

2. जहाँ तक किसी सविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने का सम्बन्ध है, किसी शब्दावली का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

राजस्व प्रयोजन संबंधी निवासस्थान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी "सविदाकारी राज्य का निवासी" पद का आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर, उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबंध स्थान अथवा उस प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर, वहाँ पर कर लगाया जा सकता है ।

2. जहाँ पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण व्यक्ति दोनों सविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वहाँ उसकी हेतियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

॥ क ॥ उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो ; यदि उसे दोनों सविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध अनिच्छुतर हों [महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र] :

- ॥घ॥ यदि उस सविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसे दोनों सविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह व्यावहारिक रूप से रहता हो ;
- ॥न॥ यदि उसका दोनों ही राज्यों में ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में ऐसा आवास नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- ॥घ॥ यदि उप-पैराग्राफ ॥क॥ से ॥ग॥ के उपबंधों के अनुसार निवास-स्थान का प्रश्न सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो सविदाकारी राज्यों के स्वयं प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

3. जहाँ किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण, दोनों सविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए " स्थायी संस्थापन " पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहाँ से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।
2. " स्थायी संस्थापन " पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- ॥क॥ प्रबंध-व्यवस्था का कोई स्थान ;
- ॥घ॥ कोई शाखा ;

- ॥ग॥ कोई कार्यालय ;
- ॥घ॥ कोई कारखाना ;
- ॥ङ॥ कोई कार्यालया ;
- ॥च॥ कोई खान, तेल अथवा गैस कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- ॥छ॥ कोई माल-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो ;
- ॥ज॥ कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वनपालन, बागबानी अथवा तत्सम्बन्धी कार्य किए जाते हों ;
- ॥झ॥ कोई परिसर जिसका प्रयोग विक्रय स्थल अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता हो ;
- ॥ञ॥ कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है ;
- ॥ट॥ कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना ॥ एसेम्बली प्राजेक्ट ॥ अथवा उत्तरे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यक्रम, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यक्रम छः माह से अधिक चालू रहते हों ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, " स्थायी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :-

- ॥क॥ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग ;
- ॥ख॥ केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना ;

॥ग॥ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना ;

॥घ॥ किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

॥ड०॥ उद्यम के लिए, केवल विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ऐसे समान कार्यकलापों के संबंध में जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ; कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ;

तथापि, उप-पैराग्राफ ॥क॥ से ॥ड०॥ तक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां उक्त उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम द्वारा कारोबार का कोई अन्य निश्चित स्थान रखा जाता हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतन्त्र हैसियत के अभिकर्ता, जिसपर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में उस स्थिति में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि -

॥क॥ उसे उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह व्यावहारिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदने तक ही सीमित नहीं हों ।

॥ख॥ उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो, परन्तु वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उस उद्यम

की ओर से माल और पण्य वस्तुओं की नियमित रूपसे डिलीवरी करता हो ;

5. एक सविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे सविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । लेकिन, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

6. यदि कोई कम्पनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे सविदाकारी राज्य में ॥ चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा ॥ कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अकल सम्पत्ति से आय

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित अकल सम्पत्ति ॥ कृषि अथवा वाणिज्य सहित ॥ से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. "अकल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस सविदाकारी

राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिनपर भू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति के भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार से प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान, नौकाएँ तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपभोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर ^{भी} लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार के लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है - {क} उस स्थायी संस्थापन ; {ख} उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है ; अथवा

॥ग॥ उस दूसरे राज्य में कारोबार सम्बन्धी किए जाने वाले एक-समान अन्य कार्यकलाप अथवा उससे मिलते-जुलते कार्यकलाप, जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हों ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतन्त्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है । किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण लाभों की सही राशि का निर्धारण करना संभव नहीं है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयाँ आती हैं तो स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों की गणना किसी उचित आधारे पर की जाए ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, वे व्यय की कटौतियों के रूप में स्वीकार किये जाएंगे, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी अथवा तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों, और उनकी परिधि के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों । किन्तु, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान-कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय ॥ वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ॥ को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले रायल्टियों, फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के तौर पर अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के तौर पर, अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन

पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकम अदा की गई हो तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय के स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले रायल्टियों, फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के रूप में की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में, अथवा किसी बैंक उद्यमों के मामलों को छोड़कर उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय ४ वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ४ को प्रभारित की गई हो

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं ।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

6. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

विमान परिवहन

1. किसी सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए , अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिचालन से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे ब्याज के मामले में लागू नहीं होंगे ।

4. " वायुयान-परिचालन " पद से तात्पर्य होगा-वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा अक्केताओं द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल का वायुयान द्वारा परिवहन करने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुषंगिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 9

जहाजरानी

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान के प्रचालन से अर्जित लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा जिसमें उद्यम के वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है ।

2. यदि अन्तरराष्ट्रीय यातायात में नौ-परिवहन का कार्य कर रहे किसी जहाजरानी उद्यम की वास्तविक प्रबंध-व्यवस्था का स्थान किसी जलयान में ही हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलयान का अपना बंदरगाह स्थित है, अथवा यदि उस जलयान का अपना ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलयान का संचालक निवासी है ।

3. किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अभिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर पैरा 1 के उपबंध

भी लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ । और जहाजरानी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत सरकार और पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार के बीच हुए दिनांक 27 जून, 1960 के करार के अनुच्छेद IXIII में शामिल बातों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य की बंदरगाह से तीसरे देशों की बंदरगाहों के बीच जलयानों के संचालन से प्राप्त आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया जायेगा लेकिन उक्त दूसरे राज्य में लगाए गए कर को उसके 50 प्रतिशत तक की राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा ।

अनुच्छेद- 10

सहयोगी उद्यम

जहाँ :

॥क॥ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

॥ख॥ वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध-व्यवस्था नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा

अनुच्छेद - 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है ।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जहां ऐसे लाभांश इस करार के प्रवृत्त होने के बाद किए गए अंशदानों से सम्बन्धित होते हैं ।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं ।
3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में सम्मिलित हों, तथा अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयर से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है ।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित

स्थान में उसमें स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में लाभांश अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए जाते अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं है अथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा सकने वाला कर नहीं लगाया जाएगा चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों ।

अनुच्छेद - 12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभोगी

स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी -

॥क॥ एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका उस पर हितभोगी स्वामित्व हो;

॥i॥ दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

॥ii॥ दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक ।

॥ख॥ एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज को उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी यदि उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का हितभोगी स्वामित्व हो और वह निम्नलिखित द्वारा दिए गए अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो ;

॥i॥ पोलैंड के मामले में, बैंक हैडलोवी डब्ल्यू वारशाजावी एस० ए० जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है ;

॥ii॥ भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक ॥ एग्जिम बैंक ॥, जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है;

॥iii॥ किसी संविदाकारी राज्य के विदेश व्यापार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था करने वाला कोई भी संस्थान ;

॥१॥ कोई अन्य व्यक्ति बतलें कि ऋण अथवा
उधार प्रथमोल्लिखित सचिदाकारी राज्य
की सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

4. इस अनुच्छेद में व्याप्युक्त "ब्याज " शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों, जिन्में ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय । विलम्बित अदायगी के लिए अर्धदण्ड सम्बन्धी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, एक सचिदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सचिदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहाँ स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है । इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी सचिदाकारी राज्य में ब्याज, उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह सचिदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु, जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सचिदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा नहीं, सचिदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी

की गयी है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह ब्याज उस सविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहाँ, ब्याज अदा करने वाले और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और हितभोगी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. लेकिन, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हुये हों । परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का

हितभोगी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 22.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द का आशय किसी साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक कृतियों, जिसमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए टेपों के प्रतिलिप्याधिकार, कोई पेटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग के लिए, अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का आशय प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, के प्रतिफल में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई अदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को की गयी किसी भी रकम की अदायगियां ।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभोगी स्वामी जो एक सविदाकारी राज्य कानिवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है तथा वह अधिकार, सम्पत्ति अथवा सविदा, जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे

मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी सँविदाकारी राज्य में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहाँ रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सँविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी सँविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो, तथा ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ अदा करने वाले तथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदा की गई होती, तो वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों की रकम का अतिरिक्त भाग इस करार के अन्य उपबन्धों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सँविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाए जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद - 14

पूँजी अभिलाभ

में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का भाग है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन ॥ अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ ॥ अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति, के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्त्ता निवासी है ।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. किसी ऐसी कम्पनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाषों पर उसी सँविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्त्ता निवासी है ।

अनुच्छेद - 15

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएँ

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक सँविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे सँविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :-

॥क॥ यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सँविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

॥ख॥ यदि दूसरे सँविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी अवधि अथवा अवधियाँ उस दूसरे राज्य के संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो, तो उस मामले में, उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएँ" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों,

शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 16

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक सँविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे सँविदाकारी राज्य में नहीं हो । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहाँ से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सँविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सँविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

॥क॥ प्राप्तकर्ता संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "जाय वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो ;

॥ख॥ पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

॥ग॥ पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो दूसरे राज्य में स्थित है ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक सँविदा-

कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के परिचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 17

निदेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय प्रबंधकीय

अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलती-जुलती अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा ।

2. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे राज्य की निवासी है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त कर्मचारी की हैसियत से प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा उससे मिलते-जुलते पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 18

मनोरंजनकर्त्ता तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्त्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्य-कलापों से, जिन्हें वह दूसरे सविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सकेगा ।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार की अपनी हैसियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में उद्भूत होने वाली आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहाँ अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर उस सविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए गए हों ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी, यदि दूसरे सविदाकारी राज्य में कार्यकलाप दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद कार्यक्रम के आदान-प्रदान के दायरे में आते हैं और जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हैं ।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक सविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी को स्वयं प्राप्त नहीं होती है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह आय केवल दूसरे सविदाकारी राज्य में ही कर-योग्य होगी ; यदि उस दूसरे व्यक्ति के कार्यकलाप दोनों सविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के दायरे में आते हैं, उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशनें

1. §क§ एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए किसी सरकारी स्वरूप की स्वीकृतियों के निर्वहण में की गई सेवाओं के संबंध में प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा ।

§ख§ लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में प्रदान की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो :

§i§ उस राज्य का राष्ट्रिक है ; अथवा

§ii§ मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था ।

2. §क§ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सृजित किए गए कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।

§ख§ तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर-योग्य हो सकेगी यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का कोई निवासी है तथा उसका एक राष्ट्रिक है ।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

उल्लिखित पेंशन से भिन्न किसी अन्य पेंशन पर, जो दूसरे सविदाकारी राज्य में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त हुई हो, केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगेगा ।

2. "पेंशन " शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान चोटग्रस्त होने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी ।

3. "वार्षिकी " शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अन्तर्गत जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो ।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. ऐसी अदायगियों पर, जिन पर कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो किसी सविदाकारी राज्य का भौरा करने के तुरन्त पहले किसी सविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी जीविका, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रथम-उल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उस राज्य में कर नहीं लगाया जा सकेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोत से उद्भूत होती हों ।

2. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु द्वारा किसी ऐसे सविदाकारी राज्य में, जिसमें वह मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, किए गए कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय उस राज्य में कर-योग्य नहीं होगी जब तक कि यह राशि उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक राशि से अधिक न हो ।

3. उस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा ।

4. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य का उस " पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा " आय वर्ष " में, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तत्काल पूर्ववर्ती " पिछले वर्ष " अथवा " आय वर्ष " में निवासी रहा हो ।

अनुच्छेद -22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध-छात्रों द्वारा

प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा दूसरी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी ।

2. यह अर्जुन शीघ्र काय से ग्रास आय पर लागू नहीं होगी

यदि ऐसा शीघ्र काय जन-हित में नहीं है बल्कि मूलतः किसी

विशेष व्यक्ति या अथवा व्यक्ति के किसी लाभ के लिये है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोगार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का

अर्थ ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के मध्य

प्रतिष्ठित शर्तों पर इस संबंध में अनुमति प्राप्त किया गया हो।

अनु आय

अनु आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अन्तर्गत रहने हुए भी एक संविदा-

कारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मूल, जहाँ-जहाँ

उद्भूत होती हो, विन पर इस करार के पूर्वार्ध अर्जुन में विशेष

रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में

कर लाने योग्य होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अर्जुन 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-

परिभाषित अवलम्बित से प्राप्त होने वाली आय से निम्न आय

पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी

राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में

किस किसी संस्था के माध्यम से उत्पन्न करार करता है

अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी निवासी अथवा

व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करता है और जिस व्यक्ति

अथवा संस्थान के संबंध में आय अदा की जाती है वह ऐसे संस्था

संस्थापन अथवा निवासी अथवा से प्राप्त रूप से संबंध है। ऐसे

मात्र में, अर्जुन 7 अथवा अर्जुन 15 के उपबन्ध, ऐसी भी स्थिति

हो, लागू होगी।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर, जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे सविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा ।

4. सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अनुसार किसी करार के होने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के द्वारा इस अनुच्छेद में दिए गए पारस्परिक करार प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु, समुचित द्विपक्षीय प्रक्रियाओं, शर्तों, पद्धतियों और कार्य-पद्धतियों का विकास करेंगे ।

अनुच्छेद - 24

दोहरे कराधान की समाप्ति

1. दोनों ही सविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने सविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शास्ति करते रहेंगे सिवाय उसके कि जहाँ इस करार में उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाए जाते हैं ।

2. दोनों सविदाकारी राज्यों में दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

§क§ जहाँ एक सविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहाँ प्रथमोल्लिखित राज्य, इस पैराग्राफ के उप-पैरा §ख§ के उपबंधों

के अधीन रहते हुए, ऐसी आय को कर से छूट दे सकता है परन्तु उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू होती यदि छूट-प्राप्त आय पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गई होती ।

॥ख॥ दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाते समय, कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं, आय की उन मदों को शामिल कर सकेंगे जिन पर इस करार के अनुच्छेद 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार पर संगणित कर की राशि में से दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती देगी । तथापि, ऐसी कटौती प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसाकि कटौती मंजूर करने से पहले संगणित किया गया हो, जो उस आय के अनुकूल हो जिस पर इस करार के अनुच्छेद 11, 12, और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

30. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ ॥ख॥ के प्रयोजनार्थ "दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किया गया कर" पदावली में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गई मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के करारान से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य आय की संगणना करने में अनुमत कटौती अथवा छूट अथवा कर की कटौती अथवा अन्यथा रूप में किसी राहत के नहीं होने की स्थिति में देय होगी ।

अनुच्छेद- 25

सम-व्यवहार

1. एक सविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में अथवा वैसी ही शक्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में उन्हीं परिस्थितियों में तथा वैसी ही शक्तों के अधीन उसी तरह के कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाये जाने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक सविदाकारी राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें, राहतें, कटौतियाँ तथा कटौतियाँ प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक सविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे सविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित सविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर

१० ।
 यह एक शीघ्रकारी राख का कौड़ निवासी यह
 समझता है कि एक अन्ध दोनो शीघ्रकारी राखो के कारण
 के कारण उस पर जो कर लगाया गया है अन्धता जाया जायगा

മുഗ്ദ്ധ മുഗ്ദ്ധ മുഗ്ദ്ധ

92 - 26-11

। महर्षि सुत उवाच

[illegible][illegible]

५. इस अधिनियम के अन्तर्गत "राज्य" का अर्थ होगा राजधानी प्रदेश ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

वह इस करार के अनुत्प नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबद्धित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । यह मामला, उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो जो इस करार के अनुत्प नहीं हो ;

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुत्प नहीं है, दूसरे सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी करार हो गया हो, उसे सविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सीमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा ।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है ।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अन्तर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब किसी समझौते पर पहुँचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत होता हो, वहाँ ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें सविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों ।

सूचना का आदान-प्रदान

1. सविदाकारी राज्यों के सक्रम प्राधिकारी ऐसी सूचना का
 § जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं § आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार
 के उपबंधों के अथवा सविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित
 आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक
 हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके अधीन
 विद्यमान कराधान-व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी
 अथवा अपवर्धन को रोकने के लिए करार के प्रतिकूल नहीं हो । किसी
 सविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार
 गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के
 अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन, यदि उक्त
 सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता
 है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों § जिनमें न्यायालय
 और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं § को प्रकट किया जाएगा, जो
 उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन अथवा अभि-
 योजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्गुप्त
 हों, जो इस करार के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी
 उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे
 उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाही अथवा
 न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्रम प्राधिकारी, विचार-विमर्श
 के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और
 तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-
 प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहाँ-कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार
 के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है ।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा किन्हीं विशिष्ट मामलों में अनुरोध मिलने पर अथवा दोनों तरह से किया जाएगा । सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर यह तय करेंगे कि किस-किस सूचना का या किन-किन दस्तावेजों का नेमी आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा ।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे एक सविदाकारी राज्यको निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं :-

॥क॥ उस सविदाकारी राज्य अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना ;

॥ख॥ ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस राज्य अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते ;

॥ग॥ कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद कुल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा ।

अनुच्छेद - 28

कर-वसूली में सहयोग

1. सविदाकारी राज्य इस करार से संबंधित करों की वसूली में उन मामलों में एक-दूसरे राज्य की मदद करने और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहाँ अनुरोधकर्त्ता राज्य के कानूनों के अनुसार, कर

निश्चित रूप से देय हैं ।

2. वसूली के प्रवर्तन के किसी अनुरोध के मामले में किसी भी सविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावों को, जिनका अन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है, उस दूसरे सविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे अनुरोध किया गया है, और उनकी वसूली उस राज्य के करों के प्रवर्तन और उनकी वसूली हेतु लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी ।

3. भारतीय कर के मामले में अनुरोधपत्र को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत द्वारा वित्त मंत्री पोलैंड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जैसा कि भारत के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं ।

4. पोलैंड कर के मामले में, अनुरोधपत्र वित्त मंत्री, पोलैंड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा कि पोलैंड के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं ।

5. जहाँ कर संबंधी दावा इस संबंध में आपत्ति किए जाने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्णय नहीं बना हो, वहाँ एक सविदाकारी राज्य अपने राजस्व को बचाने के लिए दूसरे सविदाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इस तरह वैध हैं ।

6. किसी करदाता से प्राप्त करों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध तभी किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले सविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिसंपत्तियां उपलब्ध न हों ।

7. जिस सविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार वसूल की गई रकम को तत्पश्चात् तुरन्त दूसरे सविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने अनुरोध किया था ।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक तथा कौंसुली कार्यकलाप

इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौंसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 30

प्रवर्तन

प्रत्येक सविदाकारी राज्य दूसरे सविदाकारी राज्य को इस करार को प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के अधीन अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा हो जाने के वारे में अधिसूचित करेगा । यह करार, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसके बाद :

१क॥ भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के, अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ

होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

॥ख॥ पोलैंड में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 31

समाप्ति

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार :

॥क॥ भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में ;

॥ख॥ पोलैंड में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में, निष्प्रभावी हो जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत
अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

.....वासी.....में वर्ष
एक हजार नौ सौनवासी.....केजून.....माह
केदशक.....दिन को पोलिश, हिन्दी और अंग्रेजी
भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया, जिसके सभी
पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । पोलिश और हिन्दी पाठों में
भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

पोलैण्ड लोक गणराज्य
की सरकार की ओर से



भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

